# उत्तर प्रदेश शासन प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 संख्या-3324/सोलह-1-2013-1(3)/2009

लखनऊः दिनांकः 31 अक्टूबर, 2013

## <u>अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 2013) की धारा-1 की उपधारा-(2) के अधीन शिक्त का प्रयोग करके राज्यपाल दिनांक 01 नवम्बर, 2013 को ऐसा दिनांक नियत करते हैं जब उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

आज्ञा से,

नीरज कुमार गुप्ता प्रमुख सचिव

# संख्या-3324(1)/सोलह-1-2013-1(3)/2009 व दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- (1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- (2) प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
- (3) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
- (4) कुलपति, उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- (5) प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
- (6) प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- (7) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
- (8) अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
- (9) क्षेत्रीय अधिकारी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, कानपुर।
- (10) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
- (11) कुलसचिव, उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसकी प्रतियां कराकर प्रदेश के समस्त निजी अभियंत्रण/व्यावसायिक संस्थाओं को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
- (12) निदेशक/प्राचार्य, खायत्तशासी अभियंत्रण संस्थार्ये, उत्तर प्रदेश।
- (13) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।

...2

- (14) निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ।
- (15) संसदीय कार्य अनुभाग-1, उ०प्र० सचिवालय।
- (16) विधि परामशी पुस्तकालय, उ०प्र० सचिवालय।
- (17) भाषा अनुभाग-5, उ०प्र० सचिवालय।
- (18) विधायी अनुभाग-1, उ०प्र0 सचिवालय।
- (19) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2/3।
- (20) व्यावसायिक शिक्षा अनुभाग।

AT DOSO11

- (21) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
- . (22) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (23) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना संख्या-3324/सोलह-1-2013-1(03)/2009 दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2013) (हिन्दी/अंग्रेजी) की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि इसे असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड(क) (सामान्य परिनियम नियम) से तत्काल मुद्रित कर उसकी 1000 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से, १४५००० ( अवधेश कुंमार पाण्डेय ) क्त सचिव



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2011-13 लाइसेन्स टू पोस्ट एंट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

# उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग—1, खण्ड (क) (उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 30 सितम्बर, 2013 आश्विन 8, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1
संख्या 1053/79-वि-1-13-1(क) 3-2013
लखनऊ, 30 सितम्बर, 2013
अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पर दिनांक 27 सितम्बर, 2013 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2013 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013

(उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 21 सन् 2013)

[ जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ ]

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 का अग्रतर संशोधन करने के

लिये

#### अधिनियम

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

- 1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, संक्षेप्त नाम और 2013 कहा जायेगा।
- (2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करें ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2000 की धारा 2 का संशोधन

- 2—उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात:—
- " (ज) " विश्वविद्यालय" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ से हैं; "

धारा 3 का संशोधन 3-मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात:-

विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन

- 3—(1) उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रारम्भ होने के दिनांक को विद्यमान महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतमबुद्ध नगर, गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ के साथ विलीन हो जायेगा और ऐसे विलयन के पश्चात् स्थापित विश्वविद्यालय को उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ कहा जायेगा।
- (2)उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रारंभ होने के दिनांक को कुलाधिपति, कुलपति, कार्य परिषद, विद्या परिषद तथा इस रूप में गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ में पद धारण करने वाले अन्य प्राधिकारियों से मिल कर विश्वविद्यालय का निगमित निकाय गठित होगा।
- (3)—उप—धारा (1) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों के विलयन से सम्बन्धित अन्य मामलों, यथा शैक्षिक, प्रशासनिक, वित्तीय आदि, का निपटारा ऐसी रीति से किया जायेगा जैसी राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित की जाय।

धारा 4 का संशोधन 4-मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात:—

शक्तियों का प्रादेशिक क्षेत्र में प्रयोग

- "4-(1) विश्वविद्यालय की अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश पर होगी।
- (2)उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रारंभ होने के दिनांक को या उसके पश्चात् प्रत्येक विद्यालय या संस्था, जो धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध या सहयुक्त रही हो अथवा उनका एक घटक महाविद्यालय या संस्था रही हो, को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त समझा जायेगा अथवा उन्हीं निबन्धन और शर्तों पर, जैसा वे पूर्व में थे, जब तक कि विश्वविद्यालय द्वारा अन्यथा विहित न हो, विश्वविद्यालय का, यथास्थिति, घटक महाविद्यालय या संस्था बन जायेगी।"

धारा ६ का संशोधन 5-मूल अधिनियम की धारा 6 में, खण्ड (ग) में शब्द " अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं " के स्थान पर शब्द " ऐसी अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं जो विहित की जाएं" और खण्ड (घ) में शब्द "अन्य शैक्षिक विशिष्टतायें" के स्थान पर शब्द " ऐसी अन्य शैक्षिक विशिष्टतायें, जो विहित की जाएं" रख दिये जायेंगे।

नई धारा 40-क का बढ़ाया जाना 6—मूल अधिनियम की धारा 40 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:—

"40—क उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रारम्भ होने के दिनांक से, किन्हीं नियमों, परिनियमों, विनियमों, अध्यादेशों एवं तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के सांविधिक लिखतों में या किसी दस्तावेज या कार्यवाहियों में गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय या महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय को किये गये किसी संदर्भ को विश्वविद्यालय का संदर्भ मान लिया जायेगा।"

धारा 41 का . संशोधन 7—मूल अधिनियम की धारा 41 में, उपधारा (1) में, परन्तुक में शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 2002" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 2014" रख दिये जायेंगे।

## उद्देश्य और कारण

राज्य में प्राविधिक शिक्षा के उन्नयन और विकास के लिये वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, सन् 2000) के अधीन उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2010) द्वारा प्रशासनिक विचार से उक्त विश्वविद्यालय को महामाया प्राविधिक

विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध नगर एवं गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ में द्विशाखित किया गया। यह अनुभव किया गया कि उक्त द्विशाखीकरण के फलस्वरूप राज्य में पाठ्य विवरण एवं मूल्यांकन पद्धित में भिन्नता आ गई जिसकी ग्राह्यता नहीं बन पायी है। पहले से स्थापित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय के नाम की हानि होने के कारण उक्त विश्वविद्यालयों के स्नातकों की अग्रतर शिक्षा और सेवायोजन की संभावनायें भी प्रभावित हुई हैं। इसके अतिरिक्त केवल संबद्धता के प्रयोजन के लिये दो विश्वविद्यालयों के सृजन से राज्य में प्राविधिक शिक्षा के स्तर की अभिवृद्धि नहीं होगी। अतएवं, यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को मूल रूप में प्रत्यावर्तित करने के लिये महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतमबुद्ध नगर और गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ का विलयन कर दिया जाय।

तद्नुसार, उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से, एस०के० पाण्डेय, प्रमुख सचिव।

### No. 1053(2)/LXXIX-V-1-13-1(Ka)3-2013

Dated Lucknow, September 30, 2013

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Pravidhik Vishwa Vidyalay (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 2013) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 27, 2013:—

#### THE UTTAR PRADESH TECHNICAL UNIVERSITY

(AMENDMENT) ACT, 2013

[U.P. ACT NO. 21 OF 2013]
(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN ACT

further to amend the Uttar Pradesh Technical University Act, 2000

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Technical University (Amendment) Act, 2013.

Short title and commencement

- (2) It shall come into force on such date as the State Government may by notification appoint.
- 2. In section 2 of the Uttar Pradesh Technical University Act, 2000 hereinafter referred to as the principal Act for clause (h) the following clause shall be substituted namely:-
- "(h) "University" means the Uttar Pradesh Technical University, Lucknow established under section 3;"
- 3. For section 3 of the principal Act the following section shall be substituted; namely:-
- 3. (1) On the date of commencement of the Uttar Pradesh Technical University (Amendment) Act, 2013 the existing Mahamaya Technical University, Gautam Buddha Nagar shall merge with the Gautam Buddh Technical University, Lucknow and the University established after such merger shall be called the Uttar Pradesh Technical University, Lucknow.
- (2) On the date of commencement of the Uttar Pradesh Technical University (Amendment) Act, 2013, the Chancellor, the Vice Chancellor, the Executive Council, the Academic Council and other authorities holding office as such in the Gautam Buddh Technical University, Lucknow shall constitute the body corporate of the University.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 23 of 2000

Amendment of section 3

Establishment and incorporation of the University

(3) Other matters, such as academic, administrative, financial etc. relating to the merger of the Universities referred to in sub-section (1), shall be settled in such manner as may be notified from time to time by the State Government.

Amendment of section 4

4. For section 4 of the principal, Act, the following section shall be substituted; namely:-

Territorial exercise of powers

- "4(1) The University shall have jurisdiction over the whole of Uttar Pradesh.
- (2) On or after the date of commencement of the Uttar Pradesh Technical University (Amendment) Act, 2013 every college or institution which was affiliated to or associated with or was a constituent college or institute of the universities referred to in sub-section (1) of section 3 shall be deemed to be affiliated to or associated with or shall become a constituent college or institute as the case may be of the University on the same terms and conditions as before unless otherwise prescribed by the University."

Amendment of section 6

5. In section 6 of the principal Act, in clauses (c) and (d) for the words "other acadamic distinctions" the words "such other acadamic distinctions as may be prescribed" shall be subsituted.

Insertion of new section 40 -A

- 6. After section 40 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely: -
  - "40-A With effect from the date of commencement of the Uttar Pradesh Technical University (Amendment) Act, 2013 any reference to the Gautam Buddh Technical University or Mahamaya Technical University in any rules, statues, regulations, ordinances and statutory instruments of any law for the time being in force or in any document or proceedings shall be construed as a reference to the University."

Amendment of section 41

7. In section 41 of the principal Act, in sub-section (1) in the proviso for the word and figures "December 31, 2002" the word and figures "June 30, 2014" shall be substituted.

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Technical University was established under the Uttar Pradesh Technical University Act, 2000 (U.P. Act no 23 of 2000) in the year 2000 for the advancement and development of the technical education in the State. By the Uttar Pradesh Technical University (Amendment) Act, 2010 (U.P. Act no. 5 of 2010) the said university has been bifurcated into Mahamaya Technical University, Gautam Buddha Nagar and Guatam Buddha Technical University, Lucknow for administrative consideration. It has been felt that the said bifurcation has resulted in differing syllabi and assessment methods in the State, which has not been well received. The loss of the name of the already established Uttar Pradesh Technical University has affected the prospects for further education and employment of graduates of the said Universities. Moreover, creation of two universities only for the purpose of affiliation does not improve the standard of technical education in the State. It has, therefore, been decided to merge the Mahamaya Technical University, Gautam Buddha Nagar and Gautam Buddha Technical University, Lucknow.

The Uttar Pradesh Technical University (Amendment) Bill, 2013 is introduced accordingly.

By order,
S. K. PANDEY,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० ४५५ राजपत्र(हि0)-2013-(982)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)। पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 83 सा0विधायी-2013-(983)-500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।